मथुरा पुलिस

दिनांक 03.10.2025 ऑपरेशन कन्विक्शन थाना- सुरीर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी के भाई की हत्या करने वाले 04 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना सुरीर जनपद मथुरा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 191/2017 धारा 302/34 आईपीसी** में आज दिनांक 03.10.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0-02 जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण (1) दिनेश उर्फ गोली पुत्र जोधराज (2) मानवेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह (3) ओमवीर पुत्र रविन्द्र सिंह (4) अमर उर्फ अन्नू पुत्र मानपाल निवासीगण ग्राम सरकोरिया थाना सुरीर जनपद मथुरा** को आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रमः- दिनांक 05.08.2017 को थाना सुरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2017 धारा 302/34 आईपीसी अभियुक्तगण(1) दिनेश उर्फ गोली पुत्र जोधराज (2) मानवेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह (3) ओमवीर पुत्र रविन्द्र सिंह (4) अमर उर्फ अन्नू पुत्र मानपाल निवासीगण ग्राम सरकोरिया थाना सुरीर जनपद मथुरा द्वारा मुकदमा वादी के बाई की हत्या कर देने की घटना कारित की थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण योगदान

श्री नरेन्द्र शर्मा
ADGC, मथुरा

निरीक्षक श्री बैजनाथ सिंह
विवेचक

पैरोकार/हैड कांस्टेबल देवी सिंह, थाना सुरीर मथुरा